संख्या-76/2026/1146-001-5-9002-002-2-2023

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 14 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा, ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के संचालन के सापेक्ष व्यय भार को वहन किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(93)25/292, दिनांक 19.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 108 ई.एम.टी.एस एम्बुलेन्स सेवा, ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के संचालन के सापेक्ष व्ययभार को वहन किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-03-108 ई.एम.टी.एस स्वास्थ्य सेवा का संचालन-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 रू0 25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्निलखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेन्स सेवा, ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के ऑपरेशनल कास्ट की धनराशि के आंकलन/शुद्धता से स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेन्स सेवा, ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तो/प्रतिबंधो का पुर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 सेवा प्रदाता को दिए गए इन्सेन्टिव व लगाये गए शास्ति (पेनाल्टी) के सापेक्ष किये गए वास्तविक भुगतान की धनराशि का स्वस्तर पर पुनः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परीक्षण करते हुए भुगतान की अपरिहार्यता एवं देय धनराशि के आकड़ों की शुद्धता से स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेन्स सेवा, ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा हेतु भुगतान की गयी धनराशि के प्रति विशेष आंतरिक लेखा संपरीक्षा कराए जाने पर विचार करना चाहें।

(8) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की तुलना में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर में अन्तर का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर के अनुमोदन से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(9) उक्त एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु इनसेंटिव देने के निर्णय पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(10) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,00,000 (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 221003110030 108 ई0एम0टी0एस0 "स्वास्थ्य सेवा" का संचालन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-76/2026/1146(1)/001-5-9002-002-2-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8- वित्त संशाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in